

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-04/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सचिव वित्त 9 अनुभाग (स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सचिव वित्त 9 अनुभाग (स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून के माह 04/2012 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवि भूषण लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.04.17 से 02.05.17 तक श्री अशोक कुमार व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मक:** नई इकाई । वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/12 से 03/17 तक एवं व्यय हेतु सूचनाओं का संग्रह तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - देहरादून
(ii)(अ) राजस्व विवरण

विगत वर्षों मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रु लाख में)
2014-15	शून्य
2015-16	
2016-17	

(ii)(ब) बजट का विवरण:-

विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
			शून्य					

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
			शून्य		

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---A ---श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव वक्त> महानिरीक्षक निबंधन> अतिरिक्त महानिरीक्षक> सहायक महानिरीक्षक/जिला निबंधक> उपनिबंध

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में सचिव वित्त 9 अनुभाग (स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सचिव वित्त 9 अनुभाग (स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-** लेखापरीक्षा इकाई से सूचनाओं का संग्रह किया गया।

राजस्व: माहको विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह व को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण : शून्य

व्यय से संबंधित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सचिव वित्त 9 अनुभाग (स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(1) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा संपादित विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पत्रावली

2. **सतत् अनियमितताएं:**

टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री श्रीधर प्रसाद नैथानी	अनुभाग अ धकारी
(ii)	श्री हीरा सिंह बसेड़ा	अनुस चव

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सचिव वित्त 9 अनुभाग (स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी राजस्व क्षेत्र